कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी (म.प्र.)

।। कार्य–विभाजन संशोधन आदेश ।।

क्रमांक/ .316 /S.W./एक–5–1/2005–25 बड़वानी, दिनांक 11/04/2025

--0--

माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के विभिन्न आदेशों के द्वारा जिला मुख्यालय बड़वानी पर तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बड़वानी, तहसील मुख्यालय राजपुर पर श्री हीरालाल सिसोदिया व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड राजपुर, तहसील मुख्यालय अंजड़ पर सुश्री रेणुका बारिया व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड अंजड़, तहसील मुख्यालय सेंधवा पर सुश्री सौम्या चौधरी व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश सेंधवा की पदस्थापना की गई है तथा जिला मुख्यालय बड़वानी पर श्रीमती रितु वर्मा कटारिया चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी, तहसील मुख्यालय राजपुर पर श्रीमती स्मृति पटेल व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड राजपुर, तहसील मुख्यालय सेंधवा पर सुश्री नगीना मरावी व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सेंधवा का स्थानान्तरण होने से उक्त पद रिक्त हुए हैं।

अतः मैं, **महेन्द्र कुमार जैन**, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला–बड़वानी व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–8(7), 8(8), 214, 422(2) एवं 441 के तहत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस न्यायिक जिला बड़वानी में पदस्थ न्यायाधीशगण के मध्य सिविल एवं दाण्डिक कार्यों के सम्पादन हेतु वर्ष 2025 हेतु जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 6 दिनांक 09.01.2025, संशोधन आदेश क्रमांक 108 दिनांक 10.02.2025, संशोधन आदेश क्रमांक 153 दिनांक 24.02.2025 तथा संशोधन आदेश क्रमांक 198 दिनांक 08.03.2025 में आदेश दिनांक से आगामी आदेश होने तक के लिए निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता हूँ :–

1/ कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 6 दिनांक 09.01.2025 में अनुक्रमांक क्रमांक 2–न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम) बड़वानी के कॉलम क्रमांक 4 की कण्डिका क्रमांक 2 में **"तथा ठीकरी" को विलोपित** किया जाता है।

2/ कार्य विभाजन संशोधन आदेश क्रमांक 153 दिनांक 24.02.2025 में कॉलम क्रमांक 1 के अनुक्रमांक क्रमांक 3(b) न्यायालय तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी के कॉलम क्रमांक 4 के अनुक्रमांक 1 के पश्चात् अनुक्रमांक 1(a) निम्नानुसार जोड़ा जाता है:–

> 1(a)-**तहसील ठीकरी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली दुर्घटना अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के निवास होने से उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण** के समस्त प्रकरण।

3/ कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 6 दिनांक 09.01.2025 में कॉलम क्रमांक 1 के अनुक्रमांक क्रमांक 9-न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बड़वानी को विलोपित किया जाता है तथा उसके स्थान पर **अनुक्रमांक 9-न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बड़वानी निम्नानुसार प्रतिस्थापित** किया जाता है:–

क्र	न्यायालय	क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार	संहिता/प्रकरण/आवेदन
9	**न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड बड़वानी**	**तहसील पाटी**	1. **नियमित वाद** 5,00,000 रूपये तक मूल्यांकन के प्रकरण। 2. **लघुवाद** 200 रूपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण । 3. **प्रांतीय शोधन क्षमता (इंसाल्वेंसी) विधान** के अंतर्गत 5,00,000 रूपये तक प्रकरण । 4. **धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान** के अंतर्गत 5,00,000 रू. मूल्यांकन तक प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।

			5. **प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा** समय–समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण एवं अन्य कार्य । 6. **निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ** इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत। 7. **द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बड़वानी** के द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ।

4/ कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 6 दिनांक 09.01.2025 में कॉलम क्रमांक 1 के अनुक्रमांक क्रमांक 10-न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अंजड़ के कॉलम क्रमांक 3 में **"तथा राजपुर" को विलोपित** किया जाता है।

5/ कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 6 दिनांक 09.01.2025 में कॉलम क्रमांक 1 के अनुक्रमांक क्रमांक 11-न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड अंजड़ के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड अंजड़ को विलोपित किया जाता है तथा उसके स्थान पर **अनुक्रमांक 11-न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड अंजड़ निम्नानुसार प्रतिस्थापित** किया जाता है:–

क	न्यायालय	क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार	संहिता/प्रकरण/आवेदन
11	**न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड अंजड़**	**तहसील अंजड़ एवं ठीकरी**	1. **नियमित वाद** 5,00,000 रूपये तक मूल्यांकन के प्रकरण। 2. **लघुवाद** 200 रूपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण। 3. **प्रांतीय शोधन क्षमता (इंसाल्वेंसी) विधान** के अंतर्गत 5,00,000 रूपये तक प्रकरण । 4. **धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान** के अंतर्गत 5,00,000 रू. मूल्यांकन तक प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 5. **प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा** समय–समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण। 6. **निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ** इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत। 7. **व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड अंजड़ के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड अंजड़** के द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ।

6/ कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 6 दिनांक 09.01.2025 में कॉलम क्रमांक 1 के अनुक्रमांक क्रमांक 12-न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड राजपुर को विलोपित किया जाता है तथा उसके स्थान पर **अनुक्रमांक 12-न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड राजपुर निम्नानुसार प्रतिस्थापित** किया जाता है:–

क	न्यायालय	क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार	संहिता/प्रकरण/आवेदन
12	**न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, राजपुर**	**तहसील राजपुर**	1. **नियमित वाद** 5,00,001 रूपये से 1,00,00,000 रूपये तक मूल्यांकन के प्रकरण। 2. **लघुवाद प्रकरण** 201 से 500 रूपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण। 3. **भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम** के तहत पार्ट–10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 4. **प्रांतीय शोधन क्षमता (इंसाल्वेंसी) विधान** प्रकरण 5,00,001 रूपये से 1,00,00,000 रूपये तक। 5. **धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान** के अंतर्गत 5,00,001 रूपये से 1,00,00,000 रूपये मूल्यांकन तक प्रस्तुत होने वाले

			प्रकरण। 6. **धारा 139 एवं धारा 172 नगर पालिका विधान** के तहत प्रस्तुत होने वाली विविध अपीलें । 7. **प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा** समय–समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण एवं अन्य कार्य। 8. **निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉं** इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत ।

7/ कार्य विभाजन आदेश कमांक 6 दिनांक 09.01.2025 में कॉलम कमांक 1 के अनुकमांक कमांक 13-न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड राजपुर के अतिरिक्त न्यायाधीश राजपुर के कॉलम कमांक 4 में **निम्नानुसार संशोधन** किया जाता है:–

क	न्यायालय	क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार	संहिता/प्रकरण/आवेदन
13	**न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड राजपुर के अतिरिक्त न्यायाधीश, राजपुर**	**तहसील राजपुर**	1. **नियमित वाद** 5,00,000 रूपये तक मूल्यांकन के प्रकरण। 8. **लघुवाद** 200 रूपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण। 9. **प्रांतीय शोधन क्षमता (इंसाल्वेंसी) विधान** के अंतर्गत 5,00,000 रूपये तक प्रकरण । 10. **धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान** के अंतर्गत 5,00,000 रू. मूल्यांकन तक प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 11. **प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा** समय–समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण। 12. **निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉं** इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत। 13. **व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड राजपुर** के द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉं।

8/ कार्य विभाजन आदेश कमांक 6 दिनांक 09.01.2025 में कॉलम कमांक 1 के अनुकमांक कमांक 16-न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सेंधवा को विलोपित किया जाता है तथा उसके स्थान पर **अनुकमांक 16-न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश, सेंधवा निम्नानुसार प्रतिस्थापित** किया जाता है:–

क	न्यायालय	क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार	संहिता/प्रकरण/आवेदन
16	**न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के अतिरिक्त न्यायाधीश, सेंधवा**	**तहसील सेंधवा, वरला,**	1. **नियमित वाद** 5,00,000 रूपये तक मूल्यांकन के प्रकरण। 2. **लघुवाद** 200 रूपये मूल्यांकन तक के प्रकरण। 3. **धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम** के तहत् 5,00,000 रूपये तक मूल्यांकन के प्रकरण। 4. **प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा** समय–समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण एवं अन्य कार्य। 5. **व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सेंधवा** के द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉं।

9/ कार्य विभाजन संशोधन आदेश कमांक 153 दिनांक 24.02.2025 में अनुकमांक 3(c)-न्यायालय चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को विलोपित किया जाता है तथा उक्त आदेश के अवकाश प्रभार में **अनुकमांक 5(b)-न्यायालय चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को विलोपित** किया जाता है।

10/ कार्य विभाजन संशोधन आदेश क्रमांक 108 दिनांक 10.02.2025 में "न्यायालय के रिक्त होने पर या अवकाश प्रभार में अनुक्रमांक 9 लगायत 19 के संबंध में **निम्नानुसार संशोधन** किया जाता है :–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	**प्रथम व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, बड़वानी**	द्वितीय व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, बडवानी	प्र.व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, बड़वानी	तृतीय व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, बड़वानी	व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, अंजड़
10	**द्वि. व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, बड़वानी**	प्रथम व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, बडवानी	प्र.व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, बड़वानी	तृतीय व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, बड़वानी	व्य.न्या. वरिष्ठ खण्ड, अंजड़
11	**प्रथम व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, बड़वानी**	तृतीय व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, बड़वानी	द्वितीय व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, बड़वानी	प्रथम व्यव. न्या. वरिष्ठ खंड, बड़वानी	व्य.न्या. वरिष्ठ खण्ड, अंजड़
12	**तृतीय व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, बड़वानी**	प्रथम व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, बड़वानी	द्वितीय व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, बड़वानी	प्रथम व्यव. न्या. वरिष्ठ खंड, बड़वानी	व्य.न्या. वरिष्ठ खण्ड, अंजड़
13	**व्य.न्या. वरिष्ठ खंड, अंजड**	व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, अंजड	व्य.न्या. वरिष्ठ खंड राजपुर	अति.व्य.न्या. कनिष्ठ खंड राजपुर	प्रथम व्य.न्या. वरिष्ठ खंड बड़वानी
14	**व्य.न्या. कनिष्ठ खंड, अंजड**	व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, अंजड़	व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, राजपुर	अति.व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, राजपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बड़वानी
15	**व्य.न्या. वरिष्ठ खंड, राजपुर**	अति. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, राजपुर	व्य. न्यायाधीश वरिष्ठ खंड अंजड़	व्य. न्यायाधीश कनिष्ठ खंड अंजड़	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बड़वानी
15 -a	**अति.व्य.न्या.कनिष्ठ खंड राजपुर**	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, राजपुर	व्य. न्यायाधीश वरिष्ठ खंड अंजड़	व्य. न्यायाधीश कनिष्ठ खंड अंजड़	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बड़वानी
16	**व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, सेंधवा**	व्य.न्याया.कनिष्ठ खंड के अति. न्याया. सेंधवा	व्य.न्या. कनिष्ठ खंड खेतिया	व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, राजपुर	अति.व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, राजपुर
17	**न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सेंधवा**	व्य.न्याया.कनिष्ठ खंड के अति. न्याया. सेंधवा	व्य.न्या. कनिष्ठ खंड खेतिया	व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, राजपुर	अति.व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, राजपुर
18	**व्य. न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के अति. न्यायाधीश, सेंधवा**	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सेंधवा	व्य.न्या. कनिष्ठ खंड खेतिया	व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, राजपुर	अति.व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, राजपुर
19	**व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, खेतिया**	व्य.न्याया.कनिष्ठ खंड के अति. न्याया. सेंधवा	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सेंधवा	व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, राजपुर	अति.व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, राजपुर

11/ **"लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012" के तहत प्रकरणों की सुनवाई हेतु** अधिसूचित विशेष न्यायाधीश श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बड़वानी का स्थानान्तरण होकर न्यायालय रिक्त होने एवं किसी अन्य न्यायाधीश को उक्त प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिसूचित नहीं किए जाने से उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रकरणों में **अत्यावश्यक कार्य संपादित करने हेतु निम्नानुसार प्रभार निर्धारित** किया जाता है:–

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि., 2012 के तहत अत्यावश्यक कार्य	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज एक्ट) बड़वानी

11/4/14

(महेन्द्र कुमार जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बड़वानी (म.प्र.)

पृ.क./ 900 /एक–5–1/2005–25 **बड़वानी, दिनांक 12/04/2025**

<u>प्रतिलिपि</u> :– आदेशानुसार

01–प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बडवानी।
02–विशेष न्यायाधीश, बड़वानी।
03–प्रथम / द्वितीय / तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी / सेंधवा।
04–प्रथम / द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड बड़वानी ।
05–व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, अंजड़ / सेंधवा / राजपुर।
06–प्रथम / तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बड़वानी ।
07–व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, अंजड़ / खेतिया।
08–अति. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सेंधवा / राजपुर।
09–प्रभारी अधिकारी, फाईलिंग काउंटर, कम्प्यूटर अनुभाग, बड़वानी।
10–अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बड़वानी/अंजड़/राजपुर/सेंधवा/खेतिया।
11–प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी।
12–प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

11/04/25

प्रशासनिक अधिकारी,
कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बड़वानी (म.प्र.)